Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Confiscation Appeal No.-50/2025]
Bambam Kumar...Petitioner
Versus
The State of Bihar..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	24.1.2026	(order below)	

आदेश

यह Confiscation अपील वाद न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा ई.सी. एक्ट वाद संख्या-31/2023 में दिनांक-01.7.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

दिनांक-08.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी के वाहन (बोलेरो पिकअप नं.-BR11N-9755 एवं टेम्पू नं.-BR11GC-0276) को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) की कालाबाजारी हेतु उनके घर के बाहर से जब्त किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि वे उक्त मालवाहक वाहन (बोलेरो पिकअप) के मालिक हैं। तथा यह कि उनके द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से चावल एवं गेहूँ का क्रय किया जाता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त मालवाहक वाहन में रखा खाद्यान्न उनका नहीं है। साथ ही उन्हें उक्त खाद्यान्न के उनके गाड़ी में रखे जाने एवं उनके घर के सामने लगे रहने की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे दिनांक-24.8.2022 को एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि जब्ती के क्रम में उनके घर में रखे खाद्यान्न को भी जब्त किया गया, जबकि उक्त खाद्यान्न उनका है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा न्यायहित में उक्त वाहन एवं उनके घर से जब्त किये गये खाद्यान को Release करने का अनुरोध किया गया है। सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक का कहना है कि अपीलार्थी का दावा गलत है तथा कानूनी प्रावधानों एवं साक्ष्यों के आधार पर समाहर्त्ता, पूर्णिया का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है।

उभय पक्ष के अभिकथन तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों के समीक्षोपरान्त स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत चावल एवं गेहूँ के जब्ती के समय वाहन का वाहन मालिक के घर के बाहर लगा रहने एवं वाहन मालिक के घर से फरार रहने के आलोक में इस मामले में चावल एवं गेहूँ के कालाबाजारी में अपीलार्थी-सह-वाहन मालिक की संलिप्तता प्रमाणित हो रहा है। साथ ही उनका यह अभिकथन की उनकी गाड़ी में किसका खाद्यान्न लदा था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में प्रमाणित आरोपों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। वर्त्तमान सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के स्तर से संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

24/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
24/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया